





दिनांक	आज्ञा पत्र	
	<p>जारी की है। तथा विभाजन प्रस्ताव आन के बाद दिनांक 11-3-2008 को अन्तिम डिक्री जारी की। इन आदेशों के विरुद्ध अपीलान्ट ने एक ही अपील पेश की।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली संग्रह जाकर सामिल पत्रावली की गई बहत विद्वान अभिभावकगण सुनी गई।</p> <p>बहत बगौर समाहत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री की एक साथ अपील पेश करने का कोई प्रावधान है। इसके समर्थन में विद्वान वकील रेस्पोंडेंट ने कानूनी नजीर आरआरटी 2014 § 1 § पेज-397 पेश की जिसमें स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री की एक साथ अपील पेश नहीं की जा सकती। ऐसी अपील को इसी बिन्दू पर खारिज किया गया है। इस कारण इस अपील का भी मैरिट पर निर्णय नहीं कर प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री एक साथ पेश करने पर खारिज की जाती है।</p> <p>पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">   § संवरलाल मेहरड़ा §  भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  सीकर </p>	

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	<p>जारी की है। तथा विभाजन प्रस्ताव आन के बाद दिनांक 11-3-2008 को अन्तिम डिक्री जारी की। इन आदेशों के विरुद्ध अपीलान्ट ने एक ही अपील पेश की।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर प्राथमिक पत्रावली की गई बहस विद्वान अभिभावकगणा सुनी गई।</p> <p>बहस बगौर समाप्त की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री की एक साथ अपील पेश करने का कोई प्रावधान है। इसके समर्थन में विद्वान वकील रैस्पोंडेंट ने कानूनी नजीर आरआरटी 2014 1 1 पेज-397 पेश की जिससे स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री की एक साथ अपील पेश नहीं की जा सकती। ऐसी अपील को इसी बिन्दु पर खारिज किया गया है। इस कारण इस अपील का भी मैरिट पर निर्णय नहीं कर प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री एक साथ पेश करने पर खारिज की जाती है।</p> <p>पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">         5/11/18        ॥ अंवरलाल मेहरड़ा ॥        भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं        पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी        सीकर     </p>	